रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07102020-222281
CG-MH-E-07102020-222281

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2020/आश्विन 14, 1942
No. 412] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2020/ASVINA 14, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 16 सितम्बर, 2020

सं. टीएएमपी/8/2020-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद् द्वारा फार्कलिफ्टों, चल क्रेनों, टीएलटी/रीच स्टैकर, जेसीबी/एक्सकावेटर के पार्किंग शुल्क के संशोधन के लिए मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/8/2020-एमबीपीटी

मुंबई पत्तन न्यास --- **आवेदक**

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन सदस्य **(वित्त)**

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितम्बर, **2020 के 8 वें दिन पारित)**

यह मामला फार्कलिफ्टों, चल क्रेनों, टीएलटी/रीच स्टैकर, जेसीबी/एक्सकावेटर के पार्किंग शुल्क के संशोधन के लिए मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण ने 24 जुलाई, 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/5/2019-एमबीपीटी के द्वारा एमबीपीटी के दरमानों का संशोधन अनुमोदित किया। इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्यनिष्पादन मानकों सहित, संशोधित दरमान, भारत के राजपत्र में 03 सितंबर, 2019 के राजपत्र संख्या 308 में अधिसूचित कराया गया था। तत्पश्चात, 17 सितंबर, 2019 के राजपत्र संख्या 323 में सकारण आदेश अधिसूचित किये गए।

3.1. इस पृष्ठभूमि में, एमबीपीटी ने 29 जनवरी 2020 के पत्र संख्या एफए/एसीसी/191(बी)/452 के द्वारा 24 जुलाई, 2019 के आदेश के द्वारा अनुमोदित फार्कलिफ्ट, चल क्रेन, टीएलटी/रीच स्टैकर, जेसीबी/एक्सकावेटर के पार्किंग शुल्क के संशोधन का प्रस्ताव किया है। एमबीपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव में किये गए मुख्य निवेदन इस प्रकार हैं:-

(i). एमबीपीटी में, बहुविध परिचालन कार्यकलाप होते हैं, जैसे प्राप्ति, शिपमेंट, उतरायी, अंतरण और ब्रेक बल्क, ओडीसी पैकेजों, शुष्क/तरल बल्क, लकड़ी के लट्ठे, लौह और इस्पात, दालों, कंटेनरयुक्त कार्गो आदि की सुपुर्दगी। अत: चल क्रेनें, फार्कलिफ्ट और अन्य कार्गो/कंटेनर प्रहस्तन उपस्कर काफी संख्या में गोदियों के परिचालन क्षेत्रों में खड़े रहते हैं।

(ii). गोदियों में खड़े रहने वाले कार्गो प्रहस्तन उपस्करों के लगभग 50% से 60% सामान्यत: किसी एक समय में कार्गो भंडारण, प्राप्ति, सुपुर्दगी परिचालन अथवा पोत परिचालन में लगे होते हैं और 40% से 50% उपस्कर गोदी क्षेत्र में खड़े रहते हैं जो प्रतिस्थापना के तौर पर अथवा कार्गो/पोत परिचालन में अल्पावधि में सेवा में लगाये जाने के लिए उपलब्ध रहते हैं। तथापि, गोदी में किसी उपस्कर का ठीक से पता लगाना कठिन होता है कि कौन सा उपस्कर कार्गो परिचालन में लगा है या गोदी में बेकार खड़ा है।

(iii). गोदी में पार्किंग को विनियमित करने के उद्देश्य से और पत्तन क्षेत्र का लाभकर उपयोग के लिए पार्किंग प्रभार लगाये जाने का प्रस्ताव है। ऐसे प्रभार बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं और दरमानों के संशोधन के लिए प्राधिकरण को भेजे गए प्रस्ताव में शामिल थे जिन्हें 24 जुलाई, 2019 के आदेश में प्राधिकरण द्वारा अध्याय IX- विविध प्रभार, खंड 9.7 के अंतर्गत दरमानों में पार्किंग प्रभारों की वसूली का अनुमोदन किया था, जो निम्नवत हैं:-

क्र.सं.	**उपस्कर की किस्म**	**पार्किंग प्रभार प्रति माह या उसका एक भाग (रु. में)**
(i)	फार्कलिफ्ट	2,869.00
(ii)	चल क्रेन	7,172.00
(iii)	टीएलटी/रीच स्टैंकर	7,300.00
(iv)	जेसीबी/एक्सकावेटर	2,700.00

* ग्राह्य करों को छोड़कर

(iv). उपस्कर के लिए प्रतिदिन की दर एक महीने में 30 दिन को मानकर निकाली गई है, जो इस प्रकार है:-

क्र.सं.	उपस्कर की किस्म	प्रति माह (रु. में)	प्रति दिन (रु. में)
(i)	फार्कलिफ्ट	2,869.00	95.00
(ii)	चल क्रेन	7,172.00	239.00
(iii)	टीएलटी/रीच स्टैंकर	7,300.00	243.00
(iv)	जेसीबी/एक्सकावेटर	2,700.00	90.00

* ग्राह्य करों को छोड़कर

(v). लेकिन, उक्त दरों की हाल ही में की गई चर्चा विशेष रूप से फार्कलिफ्ट, चल क्रेन, टीएलटी/रीच स्टैकर, जेसीबी/एक्सकावेटर के पार्किंग शुल्क की वसूली के लिए थी। यह पाया गया कि उपस्करों के उक्त पार्किंग प्रभार गोदी के बाहर पार्किंग दरों से बहुत कम हैं।

(vi). हाल ही में, मुंबई पत्तन न्यास ने, विभिन्न पक्षों को विभिन्न स्थानों पर भुगतान पर पार्किंग सुविधा का आबंटन किया है। इनमें से एक भुगतान पर पार्किंग सुविधा बलागी होटल के पास परिचालित है जहां ट्रकों/ट्रालों और बसों को निम्नलिखित दरों पर पार्किंग की अनुमति दी जाती है:-

क्र.सं.	अवधि	दर (रु. में)
(i)	एक घंटे तक	60.00
(ii)	एक घंटे से 3 घंटे के बीच	100.00
(iii)	3 घंटे से 6 घंटे के बीच	160.00
(iv)	6 घंटे से 12 घंटे के बीच	300.00
(v)	12 घंटे के पश्चात्	370.00

(vii). यह नोट किया गया कि प्रति माह आधार पर पार्किंग शुल्क सड़कों पर पार्क किये गए एलएमवी/एचएमवी की तुलना में कम है।

(viii). इस प्रकार दरमान के खंड 9.7 के अनुसार पार्किंग प्रभार किसी भी निकटवर्ती परिसर पर वसूली जा रही दरों से काफी कम है। पार्किंग प्रभार की दैनिक दर गोदी के बाहर पार्किंग प्रभारों की तुलना में सभी उपस्करों की पार्किंग के लिए यथानुपात काफी कम है।

3.2. उक्त को देखते हुए, एमबीपीटी ने कार्गो/कंटेनर प्रहस्तन उपस्कर के पार्किंग प्रभारों को **(दरमान के खंड 9.7 के अंतर्गत)** संशोधित करने का प्रस्ताव किया है, जो इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	उपस्कर	वर्तमान दर प्रति माह (रु.में)	संशोधित दर प्रति माह (रु. में)
(i)	फार्कलिफ्ट	2,869.00	5,738.00
(ii)	चल क्रेन	7,172.00	14,344.00
(iii)	टीएलटी/रीच स्टैंकर	7,300.00	14,600.00
(iv)	जेसीबी/एक्सकावेटर	2,700.00	5,400.00

3.3. एमबीपीटी के न्यासी मंडल ने फार्कलिफ्टों, चल क्रेनों, टीएलटी/रीच स्टैकर, जेसीबी/एक्सकावेटर के पार्किंग शुल्क के संशोधन के लिए 01.11.2019 के टीआर संख्या 195 के द्वारा उक्त सारणी के अनुसार अनुमोदन प्रदान किया है। बोर्ड की टिप्पणी की एक प्रति एमबीपीटी ने उपलब्ध करायी है।

3.4. एमबीपीटी के पार्किंग प्रभारों की दरों और गोदी के बाहर निजी पार्किंग दरों का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है:-

(राशि रु. में)

उपस्कर	3.10.2019 से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रभार (प्रति माह या उसका एक भाग)	01.11.2019 के टीआर 195 के अनुसार प्रस्तावित प्रभार (प्रति माह या उसका एक भाग)	गोदी के बाहर निजी पार्किंग प्रभार	
			12 घंटे के पश्चात्	प्रति माह
फार्कलिफ्ट	2,869.00	5,738.00	370.00	11,100.00
चल क्रेन	7,172.00	14,344.00	370.00	11,100.00
टीएलटी/रीच स्टैंकर	7,300.00	14,600.00	370.00	11,100.00
जेसीबी/एक्सकावेटर	2,700.00	5,400.00	370.00	11,100.00

4. एमबीपीओ ने 7 मार्च, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा पार्किंग शुल्क में प्रस्तावित वृद्धि से एमबीपीटी द्वारा अर्जित की जाने वाली अतिरिक्त आय की गणना भेजी है जिसके अनुसार यह राशि 83.23 लाख रु. प्रति वर्ष बनती है।

5. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, एमबीपीटी के 29 जनवरी, 2020 के प्रस्ताव की प्रति, एमबीपीटी द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार, संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों/ अतिरिक्त प्रयोक्ताओं को 13 मार्च 2020 के पत्र के द्वारा उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई थी। प्रत्युत्तर में कुछेक प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने अपनी टिप्पणियां भेजी जिन्हें फीडबैक सूचना के रूप में एमबीपीटी को भेजा गया। एमबीपीटी ने 24 जुलाई, 2020 को उनका उत्तर दिया।

6. संदर्भाधीन मामले में, 8 जुलाई, 2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में, एमबीपीटी ने अपने प्रस्ताव का संक्षिप्त पावर प्वाईंट प्रस्तुतीकरण दिया। एमबीपीटी और प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने संयुक्त सुनवाई के दौरान अपने-अपने निवेदन रखे।

7.1. संयुक्त सुनवाई के दौरान, प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने प्रस्ताव के विरूद्ध अपने तर्के रखे और मौजूदा दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर आपत्ति की। अत:, एमबीपीटी को हमारे 22 जुलाई 2020 के पत्र के द्वारा प्रस्ताव की समीक्षा करने और संयुक्त सुनवाई के दौरान प्रयोक्तओं द्वारा उठायी गई आपत्तियों के मद्देनज़र 10 दिन के भीतर समीक्षाकृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

7.2. संयुक्त सुनवाई के पश्चात्, विभिन्न प्रयोक्ताओं से टिप्पणियां प्राप्त हुई जिन्हें फीडबैक सूचना के रूप में एमबीपीटी को भेजा गया। एमबीपीटी ने अपने 10 अगस्त, 2020 के पत्र के द्वारा उनका उत्तर दिया।

8. इस मामले में संयुक्त सुनवाई संबंधी कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए निवेदनों का सार उनको पृथक रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

9. मामले की संक्रिया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के हवाले से निम्नलिखित सूचना उभर कर सामने आती है:

(i). मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) का मौजूदा दरमान [अध्याय IX – विविध प्रभार, खंड 9.7 में] चल क्रनों, फार्कलिफ्टों, रीच स्टैकरों, जेसीबी आदि जैसे कार्गो/कंटेनर प्रहस्तन उपस्करों की गोदी क्षेत्र में पार्किंग के लिए खुले क्षेत्र के प्रयोग पर पार्किंग प्रभार निर्धारित करता है। यह बताया गया है कि एमबीपीटी की गोदियों के भीतर प्रहस्तन उपस्करों की पार्किंग के लिए मौजूदा पार्किंग प्रभार बाहर भुगतान पर पार्किंग सुविधा की दरों की तुलना में काफी कम होने के कारण एमबीपीटी मौजूदा पार्किंग शुल्क को दोगुना करने के प्रस्ताव के साथ आया है। एमबीपीटी के प्रस्ताव को उसके न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है।

(ii). पार्किंग प्रभारों में वृद्धि का प्रस्ताव करने का एमबीपीटी का मुख्य कारण बाहरी भुगतान पर पार्किंग सुविधा की प्रचलित पार्किंग दरों के समान अपने पार्किंग प्रभार लाने का है। यह भी कि, पत्तन ने यह कहते हुए पार्किंग प्रभारों में वृद्धि के प्रस्ताव उचित ठहराया है कि गोदी क्षेत्र एक प्रतिबंधित क्षेत्र होता है और गोदी क्षेत्र में उपस्करों की पार्किंग बाहर के मुकाबले अधिक सुरक्षित होती है और कि इससे कुशल समय प्रबंधन भी होता है। ये कारक पत्तन प्रयोक्ताओं को व्यापारिक दृष्टिकोण से एक सकारात्मक पहलु है। इसके अतिरिक्त, पत्तन ने बताया है कि संवर्धित पार्किंग प्रभारों से उपस्करों की अवांछित/बेकार पार्किंग हतोत्साहित होगी और उससे पत्तन क्षेत्र का लाभप्रद प्रयोग हो सकेगा।

(iii) इस प्राधिकरण द्वारा की गई परामर्शी प्रक्रिया के दौरान, सभी प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने पत्तन द्वारा प्रस्तावित पार्किंग प्रभारों में वृद्धि का पुरजोर विरोध किया। प्रयोक्ताओं ने बताया है कि, गोदी क्षेत्र के भीतर के पार्किंग प्रभारों की तुलना बाहरी पार्किंग सुविधा से करना सही नहीं है क्योंकि गोदी क्षेत्र के भीतर पार्क किये गए उपस्कर पत्तन के लिए उत्पादकता प्रयोजन से सेवाएं प्रदान करने के लिए होते हैं और न कि बाहरी पार्किंग सुविधा के प्रयोग वाले। /इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ताओं का मत था कि वक्त की जरूरत यह है कि एमबीपीटी अपनी घटिया अवसंरचना में सुधार लाने तथा विकास करने के असली मुद्दों की तरफ ध्यान केंद्रित करे और उन नीतियों को कार्यान्वित करे जो उसके व्यापार में वृद्धि करे जिसमें व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी हो न कि पार्किंग प्रभारों में वृद्धि जैसे प्रस्ताव लेकर आये।

यद्यपि एमबीपीटी को प्रयोक्ताओं द्वारा उठायी गई आपत्तियों को ध्यान में रखकर अपने प्रस्ताव की समीक्षा करने का अवसर प्रदान किया गया था, एमबीपीटी ने अपने प्रस्ताव के साथ जाने का चयन किया।

(iv). अपने प्रस्ताव के समर्थन में, एमबीपीटी ने यह भी बताया है कि चूंकि पत्तन परिसर में मौजूदा पार्किंग बाहरी वाणिज्यक दरों की तुलना में किफायती है, प्रयोक्ताओं में पत्तन को एक पार्किंग सुविधा के रूप में प्रयोग करने प्रवृत्ति है और वे भारी संख्या में अपने कंटेनर प्रहस्तन उपस्कर बेतरतीव वार पार्क कर देते हैं। अत: पत्तन का प्रस्ताव अनिवार्य है ताकि गोदियों में पार्किंग को विनियमित किया जा सके और पत्तन क्षेत्र का लाभकर उपयोग सुनिश्चत किया जाए। पत्तन ने यह भी बताया है कि उपस्कर मालिकों के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि वे अपने उपस्कर गोदियों में पार्क करें और परिणामस्वरूप, अत्यधिक पार्किंग प्रभारों का भुगतान करें। बल्कि, प्रयोक्ता वाहन दिनांक स्लिप (वीडीएस) सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जो एमबीपीटी में प्रचलित है।

(v). एमबीपीटी द्वारा यथाप्रस्तुत वीडीएस के ब्यौरे से यह यह देखा जाता है कि विभिन्न किस्मों के कंटेनर प्रहस्तन उपस्करों के अधिक समय तक ठहरने पर दंड लगाया जाता है और ऐसे भी मामले हैं जहां एमबीपीटी ने प्रयोक्ता को अधिक समय तक ठहरने पर दंड के भुगतान से छूट दी है अर्थात् पोत/कंटेनर परिचालन में तैनात उपस्कर, पत्तन प्रशासन, सीमाशुल्क, पुलिस, सीआईएसएफ आदि द्वारा रोके गए उपस्कर, रेल वैगनों से/को आयातित कार्गो के लदान/निर्यात कार्गो की उतरायी।

तदनुसार, एमबीपीटी द्वारा उपलब्ध कराये गए बीडीएस सुविधा के ब्यौरे से देखा जाता है कि कार्गा/पोत प्रचालन में लगे उपस्करों पर दांडिक प्रभार के भुगतान को माफ कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, उक्त दांडिक प्रभार उपस्कर तभी लगेगा यदि वह गोदी क्षेत्र में बेकार खड़ा है।

(vi). इस प्राधिकरण ने विभिन्न मामलों में यह निर्णय दिया है कि पत्तन क्षेत्र मूल्यवान स्रोत होने के कारण इसका भंडारण यार्ड के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। गोदी क्षेत्रों के भीतर कंटेनर प्रहस्तन उपस्कर बेकार में खड़ा करने पर वह इन पत्तन क्षेत्रों में भीड़ भाड़ बढ़ा देते हैं और इससे पत्तन को परिचालनात्मक असुविधा और पैदा कर देते हैं। यह बताया गया है कि, पत्तन के प्रस्ताव को उसके न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है और चूंकि प्रस्तावित लेगी प्रचालन सेवा के लिए हैं और पत्तन द्वारा तभी उगाहे जाने योग्य है यदि वाहन वीडीएस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहता, यह प्राधिकरण, पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित, पार्किंग प्रभारों में वृद्धि का अनुमोदन करने को प्रवृत्त है। लेकिन, यह उल्लेख किया जाता है कि अनुमोदित संशोधित पार्किंग प्रभार अधिकतम स्तरीय हैं। एमबीपीटी के पास वाणिज्यक कारणों से इनसे कम दरों पर उगाही करने की शिथिलता प्राप्त है।

(vii). पार्किंग प्रभारों में प्रस्तावित संशोधन से एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत गणना के अनुसार पत्तन को 02 अक्तूबर, 2022 तक की शेष प्रशुल्क वैधता अवधि में 83.23 लाख रु. प्रति वर्ष के अतिरिक्त राजस्व होना बताया गया है। यहा यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि जुलाई 2019 में एमबीपीटी के पिछले सामान्य प्रशुल्क संशोधन के दौरान 39.02 करोड़ रु. का राजस्व में अंतर था, जिसे पत्तन द्वारा तब अनकवर छोड़ दिया गया था। अत: अनुमोदित दरों की उगाही से होने वाले 83.23 लाख रु. के अतिरिक्त राजस्व को राजस्व अंतर में मिला दिया जाए।

(viii). इस प्राधिकरण के आदेश सामान्यत: आदेश की राजपत्र अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के, पश्चात् अत्तरापेक्षी प्रभाव से लागू होते हैं जब तक कि संबंधित प्रशुल्क आदेश में विशेष रूप से अन्यथा भिन्न व्यवस्था का उल्लेख ने किया गया हो। तदनुसार, यह प्राधिकरण एमबीपीटी के गोदी क्षेत्रों के भीतर संशोधित पार्किंग प्रभार की उगाही को उत्तरापेक्षी प्रभाव से अनुमोदित करता है जो भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर लागू होंगे।

10.1. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण चल क्रेनों, फार्कलिफ्टों, रीच स्टैकरों, जेसीबी आदि जैसे कार्गो/कंटेनर प्रहस्तन उपस्करों की पार्किंग के लिए गोदी के भीतर खुले क्षेत्र के प्रयोग पर अध्याय IX – विविध प्रभार, खंड 9.7 में मौजूदा एमबीपीटी दरमानों में निर्धारित मौजूदा पार्किंग प्रभारों के निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करने का अनुमोदन प्रदान करता है:-

"9.7 गोदी के भीतर चल क्रेनों, फार्कलिफ्टों, रीच स्टैकरों, जेसीबी आदि जैसे कार्गो/कंटेनर प्रहस्तन उपस्करों की पार्किंग के लिए खुले क्षेत्रों के प्रयोग के पार्किंग प्रभार

"(i).	**फार्कलिफ्ट :**	5,738/-रु. जमा ग्राहय कर प्रति फार्कलिफ्ट प्रति माह या उसके एक भाग के लिए
(ii)	**चल क्रेन :**	14,344/- रु. जमा ग्राहय कर, प्रति चल क्रेन प्रति माह या उसके एक भाग के लिए
(iii)	**टीएलटी/ रीच स्टैकर :**	14,600/- रु. जमा ग्राहय कर, प्रति टीएलटी/रीच स्टैकर प्रति माह या उसके एक भाग के लिए।
(iv)	**जेसीबी/ एक्सकावेटर :**	5,400/- रु. जमा ग्राहय कर, प्रति जेसीबी/ एक्सकावेटर प्रति माह या उसके एक भाग के लिए। "

10.2 एमबीपीटी को अपने दरमानों में उक्त प्रावधानों को उपयुक्त रूप से अंतर्विष्ट करने का निदेश दिया जाता है।

10.3. उक्त निर्धारण इस आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होंगे और इनकी वैधता एमबीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता अवधि के साथ सह-समाप्य होगी अर्थात्

02 अक्तूबर, 2022 तक दिया गया अनुमोदन तत्पश्चात स्वत: ही व्यपगत हो जायेगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा इसका विधिवत् अन्यथा विस्तार नहीं किया जाता।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./273/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th September, 2020

No. TAMP/8/2020-MBPT.—In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for revision of parking fees for Forklifts, Mobile Cranes, TLT/ Reach Stacker, JCB/ Excavator, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/8/2020-MBPT

The Mumbai Port Trust - - - Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

O R D E R

(Passed on this 8th day of September, 2020)

This case relates to a proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for revision of parking fees for Forklifts, Mobile Cranes, TLT/ Reach Stacker, JCB/ Excavator.

2. This Authority vide its Order No. TAMP/5/2019-MBPT dated 24 July 2019 has approved revised Scale of Rates of MBPT. The revised Scale of Rates alongwith Performance Standards approved by this Authority was notified in the Gazette of India vide Gazette No. 308 dated 03 September 2019. Subsequently speaking Order on the subject proposal was notified on 17 September 2019 vide Gazette No. 323.

3.1. In this backdrop, the MBPT vide its letter no. FA/ACC/191(B)/452 dated 29 January 2020 has proposed revision of parking fees for Forklifts, Mobile Cranes, TLT/ Reach Stacker, JCB/ Excavator approved vide the Order dated 24 July 2019. The main submissions made by MBPT in its proposal are given below:

(i). At MBPT, multiple operational activities take place such as receiving, shipments, discharging, shifting and delivery of Break Bulk, ODC packagers, Dry/ Liquid Bulk, Wooden Logs, Iron & Steel, Pulses, Containerized cargo etc. So, Mobile Crane, forklifts and other Cargo/ Container handling equipment are parked in the Operational areas of docks in large numbers.

(ii). About 50% to 60% of cargo handling equipment parked in the docks are generally, at any given time, engaged in cargo storage, receipt, delivery operations or on vessel operations and 40% to 50% of the equipment are stationed in the Docks, which may be required to be pressed into service at short notice as replacements or for catering to cargo/ vessel operation. However, it is difficult to

pinpoint equipment in the Docks which are engaged in cargo handling operation or idling in the Docks.

(iii). With a view to regulate parking in the Docks and gainful utilization of Port area, parking charges were proposed to be levied. Such charges were approved by the Board and was included in the proposal forwarded to TAMP for revision of SOR and vide Order dated 24 July 2019, TAMP approved recovery of Parking charges in the SOR under Section 9.7 of Chapter IX- Miscellaneous charges, as given below:

Sr. No	Type of Equipment	Parking Charges per month or part thereof* (in ₹.)
(i)	Forklift	2,869.00
(ii)	Mobile Cranes	7,172.00
(iii)	TLT/Reach Stacker	7,300.00
(iv)	JCB / Excavator	2,700.00

* Excluding admissible taxes.

(iv). The rate per day for the equipment worked out by considering 30 days in a month is as under:

Sr. No	Type of Equipment	Per Month (in ₹)	Per Day (in ₹)
(i)	Forklift	2,869.00	95.00
(ii)	Mobile Cranes	7,172.00	239.00
(iii)	TLT/Reach Stacker	7,300.00	243.00
(iv)	JCB / Excavator	2,700.00	90.00

* Excluding admissible taxes.

(v). However, in recent discussion of the above rates more specifically on recovery of Parking fees for Forklift, Mobile Cranes, TLT/ Reach Stacker, JCB/ Excavator, it was observed that the above said parking charges of equipment are very less as compared to the parking rates outside the docks.

(vi). In the recent past, Mumbai Port has allotted Pay and Park Facility at various locations to various parties. One of the Pay & Parking facilities is operating near Balagi Hotel wherein the parking of trucks / trailers and buses is permitted at the following rates:

Sr. No.	Period	Rate (in ₹)
(i)	Upto one hour	60.00
(ii)	Between 1 to 3 hours	100.00
(iii)	Between 3 to 6 hours	160.00
(iv)	Between 6 to 12 hours	300.00
(v)	After 12 hours	370.00

(vii). It was noted that the parking charges recovered on per month basis is less as compared to the LMVs/ HMVs parked on the roads.

(viii). The parking charges as per Sec. 9.7 of the SOR is thus found to be much lower than the rates recovered at any nearby premises. The daily rate of parking charges worked out prorate for parking of all the equipment is very less as compared to parking charges outside the docks.

3.2. In view of the above, the MBPT has proposed to revise the parking charges for the Cargo/Container Handling equipment (**under section 9.7 of SOR**) as under:

Sr. No	Equipment	Present rate Per Month (in ₹)	Revised Rate Per month (in ₹)
(i)	Forklift	2,869.00	5,738.00
(ii)	Mobile Cranes	7,172.00	14,344.00

(iii)	TLT/Reach Stacker	7,300.00	14,600.00
(iv)	JCB / Excavator	2,700.00	5,400.00

3.3. The Board of Trustees of MBPT has accorded approval vide TR No. 195 dated 01.11.2019 for revision of parking fees for Forklifts, Mobile Cranes TL/ Reach Stacker, JCB/ Excavator, as per above table. A copy of the Board note has been made available by MBPT.

3.4. A comparison between the rates of parking charges of MBPT vis-à-vis private parking outside docks is given below:

(Amount in ₹)

Equipment	**Charges approved by TAMP w.e.f. 03.10.2019 (per month or part thereof)**	**Proposed charges as per TR-195 of 01.11.2019 (per month or part thereof)**	**Private Parking charges outside docks**	
			After 12 hours	**Per month**
Forklift	2,869.00	5,738.00	370.00	11,100.00
Mobile Cranes	7,172.00	14,344.00	370.00	11,100.00
TLT/Reach Stacker	7,300.00	14,600.00	370.00	11,100.00
JCB / Excavator	2,700.00	5,400.00	370.00	11,100.00

4. The MBPT vide its email dated 7 March 2020 has furnished a statement showing the working of additional income to be generated by MBPT on account of the proposed increase in parking fees estimated at ₹. 83.23 lakhs per annum.

5. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the MBPT proposal dated 29 January 2020 was circulated to the concerned users/ user organizations/ additional users vide letter dated 13 March 2020 as suggested by MBPT seeking their comments. In response, some of the users / user organisations have furnished their comments which were forwarded to MBPT as feedback information. The MBPT has responded vide its letter dated 24 July 2020.

6. A joint hearing on the case in reference was held on 8 July 2020 through Video Conferencing. At the joint hearing, MBPT made a brief power point presentation of its proposal. The MBPT and the users/ user organisations have made their submissions during the joint hearing.

7.1. During the Joint Hearing, the users/ user organisations had argued against the proposal of the Port and had objected to the proposed increase over the existing rates. Therefore, the MBPT was requested vide letter dated 22 July 2020 to review the proposal and submit the reviewed proposal within 10 days keeping in view the objection raised by the users during the joint hearing.

7.2. Subsequent to the Joint Hearing, comments received from various users were also forwarded to MBPT as feedback information. The MBPT has responded vide its letter dated 10 August 2020.

8. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received from the users / user organisations and arguments made by the concerned parties will be sent separately to them. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

9. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i) The existing Scale of Rates of Mumbai Port Trust (MBPT) [at Section 9.7 in Chapter IX – Miscellaneous charges] prescribes Parking charges for usage of open area for parking of cargo/ container handling equipment like Mobile Cranes, Forklifts, Reach Stackers, JCBs, etc. inside the Docks. Given that the said existing parking charges at MBPT for parking of handling equipment inside the docks of MBPT are less as compared to the rates at Outside Pay and Park facility, the MBPT has come up with a proposal in reference to double the existing parking fees. The proposal of MBPT has the approval of its Board of Trustees.

(ii) The main reasons for the MBPT to propose increase in the parking charges is seen to bring the existing parking charges closer to the parking rates prevailing at Outside Pay and Park facility. Also, the port has justified the proposed increase in parking charges by stating that Dock area being restricted area, parking the Equipment in the Dock area is safer and secured than outside area and that it also leads to efficient time management. These factors are reported to have a positive quotient to port users from business perspective. Further, the port has stated that the increased parking charges would discourage unwarranted/ idle parking of equipment and would lead to gainful utilization of the port area.

(iii) During the consultation process undertaken by this Authority, all the Users/ User Organisations have vehemently objected to the hike in the parking charges proposed by the Port. The users have stated that comparing parking charges inside the dock area with the outside parking facility is not correct, since the equipment parked inside the dock area are for rendering the services to the port for productive purposes and is integrated with port operations unlike the outsiders using the parking facility. Further, the users are of the view that the need of the hour is that the MBPT focuses and addresses the real issues relating to improving its poor infrastructure and develop and increase its business by implementing policies that aid growth of Trade and commerce rather than come up with proposal for increase in parking charges.

Though the MBPT was given an opportunity to review its proposal keeping in view the objections raised by the users, the MBPT has chosen to go ahead with its proposal.

(iv) In support of its proposal, the MBPT has also stated that since existing parking inside the port premises is economical as compared to outside commercial rates, there is a tendency for users to utilize the Port as a parking facility and indiscriminately park their Container handling equipment in large numbers. Thus, the proposal of the port is essential so as to regulate parking in the Docks and ensure gainful utilization of Port Area. The port has also stated that it is not at all mandatory for the equipment owners to park the equipment in Docks and consequently pay the excessive parking charges. Rather, the users can avail the Vehicle Date Slip (VDS) facility, which is in vogue at MBPT.

(v) From the details of the VDS facility as furnished by MBPT, it is seen that the facility envisages levy of penalty for per day of overstay for various types of Container Handling Equipment and also the instances where exemption will be allowed by MBPT to the user from payment of overstay charges viz., equipment deployed for vessel/ container operation, Equipment detained by Port administration, custom, police, CISF etc., Equipment deployed for loading import cargo/ unloading export cargo on / from railway wagons.

Accordingly, from the details of the VDS facility as made available by MBPT, it is seen that the equipment which is engaged in some cargo/ vessel operation is waived of from the payment of the penal charges. In other words, the said penal charges are attracted on the equipment only if they are idling in the Dock area.

(vi) This Authority has on various instances held that the Port areas being valuable resource, it should not be utilized as a storage yard. Parking of idling container handling equipment inside the Dock areas, congest these port areas and also causes operational inconvenience to the port. Given that the proposal of the port has the approval of its Board of its Board of Trustees and also since the proposed levy is towards an optional service and is leviable by the port only if the vehicles choose to not avail the VDS facility, this Authority is inclined to approve the levy of increased level of parking charges, as proposed by the Port. However, it is to state that the revised parking charges approved is at ceiling level. The MBPT has flexibility to levy lower rates based on commercial reasons.

(vii) The proposed revision in the parking charges is reported to generate an additional revenue to the tune of ₹.83.23 lakhs per annum to the port during the remaining tariff validity period upto 02 October 2022 as per the working furnished by MBPT. In this context, it is relevant here to mention that during the last general revision of tariff of MBPT in July 2019, there was a revenue gap to the tune of ₹.39.02 crores, which has been left uncovered by the Port, then. Thus, the additional revenue of ₹.83.23 lakhs arising out of the levy of rates approved would get subsumed in the revenue gap.

(viii) Orders of this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. Accordingly, this Authority is inclined to grant approval for levy of revised

Parking charges inside the dock area of MBPT prospectively after expiry of 30 days from the date of notification of this Order in the Gazette of India.

10.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority accords approval for the replacement of existing charges towards Parking charges for usages of open area for parking of cargo/container handling equipment like Mobile Cranes, Forklifts, Reach Stackers, JCBs, etc. inside the Docks at Section 9.7 of Chapter IX – Miscellaneous charges in the existing MBPT Scale of Rates (SOR) with the following provision :

"9.7 **Parking charges for usages of open area for parking of cargo/ container handling equipment like Mobile Cranes, Forklifts, Reach Stackers, JCBs, etc. inside the Docks.**

(i).	**Forklift :**	₹. 5,738/- plus admissible taxes per Forklift per month or part thereof.
(ii)	**Mobile Cranes :**	₹. 14,344/- plus admissible taxes per mobile crane per month or part thereof.
(iii)	**TLT / Reach Stacker :**	₹. 14,600/- plus admissible taxes per TLT / Reach Stacker per month or part thereof.
(iv)	**JCB / Excavator :**	₹. 5,400/- plus admissible taxes per JCB / Excavator per month or part thereof.

"

10.2 The MBPT is directed to suitably incorporate the above provision in its Scale of Rates.

10.3. The above prescription shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of this Order in the Gazette of India and shall remain valid co-terminus to the validity of the existing Scale of Rates of MBPT i.e. upto 2 October 2022. The approval accorded shall automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./273/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.10.07 21:56:09 +05'30'